Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 28 अंक- 189 रायपुर, शनिवार 2 अगस्त 2025 पृष्ठ-8 मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

चुनाव आयोग अब है ही नहीं : राहुल गांधी

नई दिल्ली, 2 अगस्त (न्यूज चैनल)। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार और देश में चुनावी प्रक्रिया पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि 2024 के आम चुनावों में धांधली हुई है। दिल्ली में वार्षिक कानूनी सम्मेलन 2025 में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम आने वाले कुछ दिनों में आपको साबित कर देंगे कि कैसे लोकसभा चुनाव में धांधली हो सकती है और धांधली हुई थी।

2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली का आरोप

कांग्रेस नेता ने आगे दावा किया कि भारत की चुनाव प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा, सच्चाई यह है कि भारत में चुनाव प्रणाली पहले ही खत्म हो चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री बहुत कम बहुमत वाले प्रधानमंत्री हैं। अगर 15 सीटों पर धांधली होती, तो वे भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते। राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में हम आपको साबित कर देंगे कि लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है और हुई भी। हालांकि, भारत के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए %मतदाता चोरी% के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव निकाय ऐसे निराधार आरोपों को नजरअंदाज करता है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर बढ़ते तनाव के बीच, गांधी ने दावा किया कि विपक्ष द्वारा की गई एक स्वतंत्र जांच से पता चला है कि ईसीआई सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को लाभ पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर 'वोट चोरी' में कथित रूप से शामिल है। कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग रोजाना लगाए जा रहे ऐसे निराधार आरोपों को नजरअंदाज करता है और रोजाना दी जा रही धमकियों के बावजूद सभी चुनाव अधिकारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करते हुए ऐसे गैरजिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करने को कहता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने संसद भवन के बाहर संवाददाताओं से कहा कि हमारे पास इस बात के स्पष्ट सबूत हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग में ऊपर से नीचे तक जो भी इस काम में शामिल है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हालांकि उन्होंने किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी ने आयोग के सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा, आप भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं और यह देशद्रोह से कम नहीं है। आप जहां भी हों, हम आपको ढूंढ निकालेंगे, भले ही आप सेवानिवृत्त ही क्यों न हों।

राहुल संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे : मेघवाल

इधर राज्यसभा के वेल में सीआईएसएफ की तैनाती पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कुछ विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बारे में पूछे जाने पर संसदीय मामलों के राज्य मंत्री मेघवाल ने कहा कि यह लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की ओर से लिया गया निर्णय था। सरकार का इससे क्या लेना-देना है? केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी को चुनाव प्रक्रिया को लेकर अपनी शिकायतें चुनाव आयोग के सामने रखनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस सांसद और उनकी पार्टी पर तथ्यों की अनदेखी करने और देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया। एक साक्षात्कार में मेघवाल ने कहा कि सरकार विपक्ष से संसद को सुचारू रूप से चलने देने का लगातार अनुरोध कर रही है, लेकिन कांग्रेस और लोकसभा में उसके नेता राहुल गांधी का उद्देश्य समझ से परे है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर संसद में चर्चा की राहुल गांधी की मांग पर एक सवाल के जवाब में मेघवाल ने कहा, मुझे लगता है कि विपक्ष को इस संबंध में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ के उदाहरण पर गौर करना चाहिए। जाखड़ ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सदन में चर्चा की मांग को ठुकरा दिया था, क्योंकि चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र संस्था माना जाता है।

राज्य सरकार तय कर सकती है प्राइवेट स्कूलों की फीस अधिनियम को असंवैधानिक बताने वाली याचिका खारिज

बिलासपुर, 2 अगस्त (हाईवे चैनल)। राज्य सरकार के गैर सरकारी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम, 2020 और नियम, 2020 को हाईकोर्ट ने संवैधानिक ठहराया है. जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने निजी स्कूलों की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को निजी स्कूलों की फीस तय करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है. राज्य सरकार की अधिसूचना को छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और बिलासपुर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने चुनौती दी थी.

बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

दरअसल, राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम लागू करने का निर्णय लिया था. इसके लागू होने के बाद प्रदेश में संचालित निजी स्कूलों के एसोसिएशन ने वर्ष 2021 में इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी. अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और 19(1)(द) व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए अधिनियम को असंवैधानिक बताया. कहा गया कि वे गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह अधिनियम उनकी स्वायत्तता में हस्तक्षेप करता है. फीस तय करने का अधिकार केवल प्रबंधन के पास होना चाहिए, इसमें सरकारी हस्तक्षेप अनुचित है. वहीं, राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में आती है. अधिनियम का उद्देश्य पारदर्शिता और न्यायोचित शुल्क तय करना है. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि निजी स्कूल भी इस नियम से मुक्त नहीं हो सकते. मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता संघ नागरिक नहीं हैं, ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 19 का हवाला देकर संवैधानिक अधिकारों का हवाला नहीं दिया जा सकता. फीस के लिए नियम तय करना राज्य सरकार का अधिकार है. अधिनियम का उद्देश्य केवल फीस में पारदर्शिता लाना है. कोई अधिनियम केवल इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि उससे किसी को असुविधा हो रही है.

ब्रेकिंग न्यूज

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली, 2 अगस्त (न्यूज चैनल)। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में अदालत का नोटिस भेजा गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को वाड्रा और ईडी मामले में आरोपी के रूप में सूचीबद्ध कई अन्य व्यक्तियों और कंपनियों को नोटिस जारी किए। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में इस मामले में तीन व्यक्तियों और आठ फर्मों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। 28 अगस्त को होने वाली सुनवाई में पूर्व-संज्ञान स्तर पर उनकी भूमिकाओं की जाँच की जाएगी। यह मुकदमे के लिए औपचारिक आरोप-पत्र जारी करने से पहले उठाया गया एक न्यायिक कदम है। 28 अगस्त की कार्यवाही यह निर्धारित करेगी कि क्या अदालत प्रवर्तन निदेशालय के मामले में पर्याप्त योग्यता से संतुष्ट है और मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। वहीं, एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की एक अदालत से कहा कि हरियाणा के शिकोहपुर में रॉबर्ट वाद्रा से जुड़े भूमि सौदे में कथित अनियमितताएं धन शोधन का स्पष्ट और अनूठा' मामला है।

प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 2200 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की

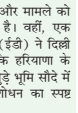

नई दिल्ली, 2 अगस्त (न्यूज चैनल)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया। सेवापुरी के बनौली (कालिकाधाम) में आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त भी जारी की गई। इस योजना के तहत, देश भर के 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 21,000 करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए गए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी का दौरा कर लगभग 2,183.45 करोड़ रुपये की 52 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने पीएम-किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी जारी की, जिसके तहत देश भर के 9.70 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सेवापुरी ब्लॉक के बनौली गांव में आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को व्हीलचेयर, तिपहिया साइकिल और सहायक उपकरण वितरित किए।

चूहा- सुनती हो, राहुल गांधी कह रहे हैं देश में चुनाव आयोग है ही नहीं...!
चुहिया- हां जी, फिर बिहार के चुनाव का क्या होगा..!

परमिट शर्तों का उल्लंघन कर बसों का संचालन, 22 को नोटिस

रायपुर, 2 अगस्त (हाईवे चैनल)। टूरिस्ट परमिट शतारों का उल्लंघन करके बसों का संचालन करने वाले 22 बसों के संचालकों को परिवहन विभाग ने नोटिस जारी किया है. इसी तरह राज्य में 1100 में से 600 से ज्यादा बसों के नियमित परमिट का नवीनीकरण कराने के निर्देश भी संचालकों को दिए गए हैं. परमिट नवीनीकरण नहीं कराने वाले एवं नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने वाले बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सूत्रों के मुताबिक हफ्ते भर पहले हुई जांच में सबसे ज्यादा रायपुर में 17 टूरिस्ट परमिट की बसों के संचालन में गड़बड़ी मिली. उड़नदस्तों की जांच में परमिट शतारों का उल्लंघन मिलने पर नोटिस जारी किया गया. अन्य जिलों में भी पांच गाड़ियों टूरिस्ट परमिट की आड़ में नियम-शतारों को दरकिनार करके चलती मिली।

जांच में पता चला कि किसी समूह के लिए बस की बुकिंग होने पर टूरिस्ट परमिट लेकर यात्री परिवहन किया जाना है. यदि किसी समूह को रायपुर से इलाहाबाद जाना है तो उसकी बुकिंग होने पर बस संचालक इसकी सूचना परिवहन विभाग को देगा और टूरिस्ट परमिट जारी कराएगा. जिसमें जाने और आने की तारीख लिखी होगी. लेकिन इन दिनों टूरिस्ट परमिट लेकर कई बस संचालक सीटों की बुकिंग करके मनमाना किराया वसूल रहे हैं. दूसरे राज्यों के लिए ज्यादातर बसें टूरिस्ट परमिट पर ही संचालित की जा रही है. शिकायत है कि परिवहन विभाग द्वारा नियमित जांच और प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण कुछ खास संचालक टूरिस्ट परमिट की आड़ में टैक्स बचा रहे हैं. आम यात्रियों से भी ज्यादा किराया वसूल किया जा रहा है. सूत्रों का कहना है कि कानूनी तौर पर बसों की जब्ती से लेकर टैक्स चोरी करके शासन को क्षति पहुंचाने के साथ ही धोखाधड़ी करने के मामले में कानूनी कार्रवाई भी संभव है।

मानव तस्करी के आरोप में दुर्ग से गिरफ्तार ननों को मिली जमानत, एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला

बिलासपुर, 2 अगस्त (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी के आरोपी में दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार ननों के केस में बड़ा अपडेट है. बिलासपुर स्थित एनआईए कोर्ट ने शुक्रवार को पीड़ित पक्षों की दलील सुनने के बाद बेल एप्लिकेशन पर फैसले को सुरक्षित रखा था. आज पीड़ितों की जमानत अर्जी को मंजूर कर दिया गया है.

बता दें कि 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मानव तस्करी और धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए दो ननों और एक युवक को रोका था. आरोप था कि तीनों, नारायणपुर जिले की तीन लड़कियों को बहला-फुसलाकर आगरा ले जा रहे हैं. कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर नारेबाजी करते हुए सभी को जीआरपी के हवाले कर दिया था. जीआरपी थाना भिलाई-3 के अंतर्गत दुर्ग जीआरपी चौकी में मामले की जांच के बाद धर्मांतरण की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था.

इस मामले को लेकर केरल सांसदों ने दो बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया था. 29 जुलाई को ईडिया गठबंधन और भाजपा का डेलिगेशन रायपुर पहुंचा था, जिन्होंने दुर्ग जेल में बंद ननों से मुलाकात की थी. छ्रत्र के एंटो एंटनी, हिबी ईडन समेत 4 सांसद शुक्रवार को रायपुर पहुंचे थे. उन्होंने दुर्ग में ननों से मुलाकात के बाद राजधानी रायपुर में पुतला फूंका था और प्रदर्शन कर विरोध जताया था. इस विरोध प्रदर्शन में केरल सांसदों के साथ कांग्रेस सह-प्रभारी जरीता लैतफलांग समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे. वहीं केरल बीजेपी के महासचिव अनूप एंटनी जोसेफ ने सीएम विष्णु देव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की थी. वहीं केरल और ओडिशा के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रालय में सीएम साय से भेंट की थी. सीएम साय ने कहा था कि यह महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला है. इस मामलें में जांच जारी है. प्रकरण न्यायालीन है और कानून अपने हिसाब से काम करेगा.

घर से निकली 2 नाबालिग बालिका अचानक हुई लापता

बिलासपुर, 2 अगस्त (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में दो नाबालिग अचानक लापता हो गई हैं. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है. दोनों की उम्र 9 और 11 साल बताई जा रही है. काफी देर तक खोजबीन के बाद कुछ पता नहीं लगने पर परिजनों ने पुलिस थाने पहुंचकर अपहरण की शिकायत दी. पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।

जानकारी के मुताबिक, मामला बिल्हा थाना क्षेत्र के वार्ड 9 का है, जहां रहने वाली दो बच्चियां अचानक लापता हो गई. 9 साल की बालिका चौथी कक्षा के बाद से स्कूल छोड़ चुकी है. गुरुवार को भाई को छोड़ने के लिए स्कूल गई हुई थी. इस दौरान उनके साथ लड़के के 11 साल की बड़ी बहन भी थी. शाम तक दोनों घर वापस नहीं लौटी। खेती कर परिवार चलाने वाले परिजन जब खेत से घर आए, तो दोनों घर पर नहीं थी. उन्होंने पड़ोसियों से पूछताछ की, शाम तक उनका पता नहीं चला, तो बिल्हा थाने में शिकायत की. पुलिस बच्चियों की फोटो व सीसीटीवी कैमरे का भी फुटेज से उनकी तलाश में जुटी है. एक ही परिवार से दो बालिकाओं के गायब होने से परिजन व आसपास के लोगों में अनहोनी की आशंका है।

आईपीएस सोनाली मिश्रा बनीं आरपीएफ की नई महानिदेशक

रायपुर, 2 अगस्त (हाईवे चैनल)। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की कमान पहली बार किसी महिला अधिकारी को सौंपी गई है. कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मध्यप्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा की डीजी/आरपीएफ के पद पर 31 अक्टूबर, 2026 तक नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोनाली मिश्रा का छत्तीसगढ़ के बहुत पुराना नाता है. अपनी व्यावसायिकता, समर्पण और नेतृत्व क्षमता के लिए जानी जाने वाली मध्य प्रदेश कैडर की 1993 बैच की आईपीएस सोनाली मिश्रा तीन दशकों से अधिक की विशिष्ट सेवा का अनुभव रखती हैं. इस कार्यभार से पहले, उन्होंने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (चयन/भर्ती) के रूप में कार्य किया, साथ ही पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल में एडीजी और मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी, भोपाल में निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला.

तहसीलदारों का ये कैसा धरना छुट्टी के दिन हड़ताल की भी छुट्टी

रायपुर, 2 अगस्त (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ में तहसीलदार और नायब तहसीलदार ही धरने पर बैठे हैं. वे अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेशभर में हड़ताल कर रहे है. लेकिन तहसीलदारों का ये अनिश्चितकालीन हड़ताल केवल सोमवार से शुक्रवार वर्किंग टाईम पर है और शनिवार-रविवार को हड़ताल की भी छुट्टी कर दी है.

नवा रायपुर के तृता धरना स्थल पर छत्तीसगढ़ के 550 से अधिक तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने प्रदर्शन करते है. लेकिन शनिवार को यहां का स्टेज खाली था. जिसके बादतहसीलदारों से संपर्क किया तो पता चला कि आज तो हड़ताल की भी छुट्टी है. नाम न छापने की शर्त पर एक पीड़ित ने कहा कि इसका तो सीधा मतलब है कि जनता परेशान होती रहे, उक्त पीड़ित ने कहा कि यदि सच में तहसीलदारों को जनता के हितों की चिंता है तो वे शनिवार-रविवार को आय-जाति प्रमाण पत्र के पेंडिंग काम ही निप्टाकर जनता को राहत दे, या अपनी मांगें पूरी होने तक धरना दें. इस मामले में तहसीलदार संघ का कहना है कि सरकारी छुट्टी के दिन संघ ने हड़ताल न किए जाने का फैसला किया था, यही कारण है कि वे शनिवार और रविवार को हड़ताल पर नहीं रहेंगे और सोमवार से पुन: हड़ताल पर बैठेंगे.

देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम

- आज से 15 अगस्त तक तीन चरणों में होगा आयोजन
- "हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता : स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग" थीम पर केन्द्रित होगा कार्यक्रम

रायपुर, 2 अगस्त (हाईवे चैनल)। देशभर की तरह छत्तीसगढ़ में भी 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम का आयोजन 02 से 15 अगस्त 2025 तक तीन चरणों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी भारतीय नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि आमजन में देशभक्ति की भावना का विकास हो और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान में वृद्धि हो। "हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता- स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग" थीम पर आधारित यह कार्यक्रम तीन चरणों में संपन्न होगा—प्रथम चरण- 02 से 08 अगस्त, द्वितीय चरण- 09 से 12 अगस्त, और तृतीय चरण- 13 से 15 अगस्त 2025 तक।

अभियान के दौरान समस्त शासकीय भवनों एवं संस्थानों, आवासीय भवनों में तिरंगा फहराया जाएगा। भवनों को रोशनी से सजाया जाएगा, रंगोली बनाई जाएगी, और सेल्फी ज़ोन तैयार किए जाएंगे। कार्यक्रम की व्यापक सफलता सुनिश्चित करने हेतु पंपलेट, बैनर, स्टैंडीज़ आदि के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में जोरदार प्रचार-प्रसार किया जाएगा। यह अभियान नागरिक एकता और सामूहिक उत्सव की भावना पर आधारित है, जिसमें स्वतंत्रता के साथ-साथ स्वच्छता और जल संरक्षण के संकल्प को भी समाहित किया गया है। प्रथम चरण (02 से 08 अगस्त) के अंतर्गत विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों को तिरंगा आर्ट से सजाया जाएगा। इस दौरान रंगोली प्रतियोगिताएं, तिरंगे के स्थानीय इतिहास पर प्रश्नोत्तरी, तिरंगा राखी निर्माण हेतु कार्यशालाएं एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर तीन रंगों के धागों से तिरंगे की बुनाई का प्रदर्शन भी होगा। विद्यालयों में तिरंगे के मूल्यों और उसकी भावना से प्रेरित पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। द्वितीय चरण (09 से 12 अगस्त) के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर जनसहभागिता से तिरंगा मेला और तिरंगा कंसर्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली व्यक्तियों और खिलाड़ियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। तिरंगा कंसर्ट में देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त तिरंगा रैली, बाइक और साइकिल रैली का आयोजन भी किया जाएगा। तृतीय चरण (13 से 15 अगस्त) में शासकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों, कार्यालयों, बांधों एवं पुलों पर तिरंगा फहराया जाएगा तथा रोशनी की जाएगी। इसी अवधि में स्वच्छता और जल संरक्षण से संबंधित विविध गतिविधियां भी संपन्न की जाएंगी। "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम में जिले के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों, स्व-सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों आदि के समस्त कर्मचारियों एवं उनके परिवारों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। कार्पोरेट एवं निजी संगठनों को भी सीएसआर संसाधनों सहित इस अभियान में भाग लेने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। संस्कृति विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार की वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हुए आमजन को "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम में सक्रिय रूप से सहभागी बनने हेतु प्रेरित किया जाएगा। साथ ही "हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता- स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग" विषयक सभी गतिविधियों को वेबसाइट www.harghar-tiranga.com से लिंक कर व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों के सरपंचों, नगरीय निकायों के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। स्थानीय स्व-सहायता समूहों को तिरंगे के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तथा ग्राम पंचायतों में तिरंगे की बिक्री एवं वितरण के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य के सभी जिलों में डाकघर और उचित मूल्य की दुकानें तिरंगे के वितरण-बिक्री केंद्र के रूप में कार्य करेंगी। आमजन की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु टोल नाकों, चेक पोस्टों आदि पर पंपलेट्स और स्टीकर्स का वितरण किया जाएगा।